विषय:–जनपद मथुरा एवं तहसील गोवर्धन में ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र0 जल निगम मथुरा द्वारा उ0प्र0 पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्यौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी0 लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में निहित कुल 0.9349 हेक्टे0 वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र

दिनांक 26/11/2021 को ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई, उ0प्र0 जल निगम मथुरा की ओर से परियोजना अभियन्ता श्री ललित मोहन व सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा की ओर से श्री बृजेश सिंह परमार, क्षेत्रीय वनाधिकारी, गोवर्धन के साथ हुए संयुक्त निरीक्षण की आख्या के अनुसार जनपद मथुरा में उ0प्र0 पर्यटन विकास की परियोजना के तहत गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के किनारे ग्राम आन्यौर, जतीपुरा एवं राधाकुण्ड देहात (कुल 11006.00 मी0 लम्बाई) में वर्षा जल की निकासी हेतु आर० सी० सी० नाला निर्माण में कुल 0.9349 हेक्टे0 वनभूमि प्रभावित हो रही हैं। जिसमें 0.6460 हेक्टे0 संरक्षित वनभूमि, 0.0875 हेक्टे0 आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित वनस्वरूप क्षेत्र की 0.2014 हेक्टे0 वनभूमि का गैरवानिकी उपयोग निहित है। परियोजना के तहत प्रभावित वनभूमि में किसी भी प्रकार के वृक्ष बाधक नहीं हैं तथा उक्त विषयक कार्य हेतु उपयुक्त है। इस परियोजना हेतु गैर वानिकी उपयोग की जाने वाली वनभूमि की मांग न्यूनतम है एवं कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नही है। प्रस्तावक विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(ललित मोहन)
परियोजना अभियन्ता
ड्रेनेज एवं सीवरेज ईकाई,
उ0प्र0 जल निगम मथुरा

(बृजेश सिंह परमार)
क्षेत्रीय वनाधिकारी,
गोवर्धन

योगेश कुमार शर्मा
परियोजना प्रबन्धक
ड्रेनेज एवं सीवरेज इकाई
उ0 प्र0 जल निगम मथुरा

रजनीकान्त मित्तल
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मथुरा